1. आरक्षण

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची-II के क्रमांक-20 पर बनिया वर्ग के अन्तर्गत गंधबनिक के बाद "बाथम वैश्य" वर्ग को जोड़ने के संबंध में ।**

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम-1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया गया है । आयोग को बिहार अधिनियम-3,1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करनी है और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करनी है । इसके उपरान्त आयोग द्वारा सरकार को ऐसी सलाह दी जाती है, जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम-12 ,1993 "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की एतद्संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य है ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जाँचोपरान्त अनुशंसा की गई है कि -

अनुसूची-2 (पिछड़े वर्ग की सूची) के क्रमांक-20 पर अंकित बनिया वर्ग के अन्तर्गत गंधबनिक के बाद "बाथम वैश्य" वर्ग का समावेशन किया जाय ।

अत: राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची-2 के क्रमांक-20 पर अंकित बनिया वर्ग के अन्तर्गत गंधबनिक के बाद "बाथम वैश्य" का समावेशन किया जाय ।

अत: उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षदों, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :- अत: यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय, और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार पटना / रांची / बिहार लोक सेवा आयोग / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्यमंत्री सचिवालय / बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-अरविन्द प्रसाद

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक -11/वि 2-पि० व० आ०-02 / 2000 का०-102 पटना-15, दिनांक 2 मार्च, 2001

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/-अरविन्द प्रसाद

सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक-11/वि 2-पि० व० आ०-2/2000 का० 102 पटना-15, दिनांक 2 मार्च, 2001

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार पटना / रांची / अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग / सदस्य-सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्यमंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद / कुलपति, सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/-अरविन्द प्रसाद

सरकार के सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची-2 में ''सदगोप'' जाति को यादव वर्ग में यादव की उपजाति के रूप में जोड़ने के संबंध में ।**

राज्य सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम-12, 1993)की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन ''पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग'' का गठन किया है । आयोग बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करेगी और एसी सूचियां में किसी पिछड़े वर्ग के अतिसमावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी । इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे । पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम-12,1993) की धारा-9 (2) के अनुसार ''पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग'' की एतद्संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य होगी ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जाँच के उपरान्त अनुशंसा की गयी है कि ''सदगोप'' को यादव जाति में यादव के उपजाति (अनुसूची-2) में समाविष्ट किया जाय ।

अत: राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में (बिहार अधिनियम-3, 1992) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) में ''सदगोप'' को पिछड़े वर्ग के क्रमांक-22 पर यथा अंकित यादव जाति के उपजाति कोष्टक में ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर के बाद समाविष्ट किया जाय ।

अत: समावेशन के फलस्वरूप ''सदगोप'' को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षदों, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश : अतः आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना / रांची / बिहार लोक सेवा आयोग / पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य मंत्री सचिवालय / बिहार विधान सभा / परिषद को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

ह०/-बी० के० सिन्हा

आरक्षण आयुक्त-सह-प्र० सु० आयुक्त ।

ज्ञाप सं०-11 / वि० 2-पि० व० आ०-02 / 99 का० 3 पटना -15, दिनांक 9 जनवरी, 2000

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना / महालेखाकार, बिहार, पटना एवं रांची / अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सदस्य-सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्यमंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद / सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षद को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/-बी० के सिन्हा

आरक्षण आयुक्त-सह-प्र० सु० आयुक्त ।

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अनुसूची-II में लक्ष्मी नारायण गोला जाति को जोड़ने के संबंध में ।**

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम, 12,1993 पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है । आयोग बिहार अधिनियम-3,1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में पिछड़े वर्गो के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करनी है और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करनी है । इसके उपरान्त आयोग द्वारा सरकार को ऐसी सलाह दी जाती है, जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम 12,1993 "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की एतद्संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य है ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांचोपरान्त अनुशंसा की गयी है कि :-

"लक्ष्मी नारायण गोला जाति को पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) में समाविष्ट किया जाय" ।

अत: राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची-2 में लक्ष्मी नारायण गोला उप जाति को पिछड़े वर्गों की सूची क्रमांक-22 पर यथा अंकित कोष्ठक में ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर एवं सद्गोप के बाद सम्मिलित किया जाय ।

अत: उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :- अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना / रांची / बिहार लोक सेवा आयोग / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य मंत्री सचिवालय / बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

ह०/-बी० के० सिन्हा

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-11 / वि2-पि० व० आ०-18/99 का० 328 पटना-15, दिनांक 22 दिसम्बर, 2000

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/-बी० के० सिन्हा

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक-11 / वि 2-पि० व० आ०-18/99 का० 328 पटना-15, दिनांक 22 दिसम्बर, 2000

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना / रांची / अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलायुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य मंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद / कुलपति, सभी विश्वविद्यालयों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/-बी० के० सिन्हा

आरक्षण आयुक्त-सह-प्रशासनिक सुधार आयुक्त,

बिहार, पटना

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची- 2 में जट (हिन्दू) एवं जट (मुस्लिम) जाति को जोड़ने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग अधिनियम 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है । आयोग को बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करनी है और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करनी है । इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जाती है, जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम-12, 1993 "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की धारा-9 (2) के अनुसार आयोग की एतद्संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य है ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांचोपरान्त अनुशंसा की गई है कि :-

1. जट (हिन्दू) जाति को सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं अररिया जिलों में पिछड़े वर्गों की राज्य सूची (अनुसूची-2) में समाविष्ट किया जाय ।

2. जट (मुस्लिम) जाति को मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों में पिछड़े वर्गों की राज्य सूची (अनुसूची-2) में समाविष्ट किया जाय ।

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-1991 की अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) के क्रमांक-39 पर सहरस, सुपौल, मधेपुरा एवं अररिया जिलों के जट (हिन्दू) जाति एवं क्रमांक-40 पर मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, खगड़िया एवं अररिया जिलों के जट (मुस्लिम) जाति को सम्मिलित किया जाय ।

अत: उक्त समावेशन के फलस्वरूप उपर्युक्त जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधायें अनुमान्य होगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश :- अत: यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना / रांची / बिहार लोक सेवा आयोग / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य मंत्री सचिवालय / बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से

ह०/-जे० आर० के० राव

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-11/ वि० पि० जाति० नि०-04/99 का० 277 पटना-15, दिनांक 6 नवम्बर, 2000

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह०/-जे० आर० के० राव

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-11/ वि० पि० जाति० नि०-04/99 का० 277 पटना-15, दिनांक 6 नवम्बर, 2000

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना / रांची / अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य मंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद / कुलपति, सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/-जे० आर० के० राव

सरकार के विशेष सचिव ।

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय : - **राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों / कार्यालयों / निगम / निकायों की सेवा एवं पदों पर नियुक्ति हेतु विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित करने के संबंध में ।**

भारत सरकार द्वारा निर्गत विकलांग सुरक्षा अधिनियम–1995 की धारा–33 में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी सरकार के अन्तर्गत सभी रिक्तियों के विरुद्ध भर्त्ती में 3 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था विकलांग उम्मीदवारों के लिए की जाए । तदनुकूल उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप यह निदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन सरकारी विभागों / कार्यालयों / निगम / निकायों की रिक्तियों के अन्तर्गत सीधी नियुक्ति में विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे । यह आरक्षण संकल्प निर्गत होने के बाद की जाने वाली सभी नियुक्तियों के मामले में लागू होगा । अधिनियम की धारा–32 में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा ऐसे पदों की पहचान की जायगी, जहाँ विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी है । यह निर्णय लिया जाता है कि राज्य सरकार के अधीन सभी पदों पर यह आरक्षण तत्काल लागू रहेगा । अगर किसी संगठन या सेवा में विकलांगों के लिए आरक्षण उपयुक्त नहीं समझा जाता है, तो संबंधित नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा ऐसा प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से गठित समिति के समक्ष लाया जायेगा । समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार ऐसे पदों/सेवाओं को विकलांगों के लिए आरक्षण के प्रावधानों से अलग रखने का आदेश जारी कर सकती है ।

समिति का गठन :- किसी सेवा/संगठन/पदों को विकलांगों के लिए आरक्षण से अलग रखे जाने के प्रस्ताव पर निम्नांकित को मिलाकर गठित समिति द्वारा विचारोपरान्त राज्य सरकार को अनुशंसा दी जायेगी :-

1. मुख्य सचिव
2. सचिव, कल्याण
3. सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
4. निदेशक, समाज कल्याण एवं राज्य नि:शक्तता आयुक्त
5. निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं
6. संबंधित विभाग के सचिव/विभागाध्यक्ष

नियुक्ति पदाधिकारी अपने प्रशासी विभाग के माध्यम से विकलांगों के लिए आरक्षण से किसी सेवा / पद

को अलग रखने का प्रस्ताव कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेंगे । कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग प्रस्ताव को उक्त समिति के समक्ष उपस्थापित कर समिति की अनुशंसा के साथ राज्य सरकार का आदेश प्राप्त कर राज्य सरकार का निर्णय संसूचित करेगा ।

विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को सुचारु रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रोस्टर नमूना अलग से परिचारित किया जायगा । सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु विकलांग किसे कहा जायगा तथा विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए क्या आरक्षण की व्यवस्था होगी, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत विकलांग सुरक्षा अधिनियम, 1995 के विभिन्न सेवाओं में पूर्व से आरक्षण की जो व्यवस्था है, उसका अनुपालन किया जायगा ।

50 प्रतिशत तक पिछड़े एवं कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है, उससे विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने में कोई वैधानिक अड़चन नहीं है। चयनित विकलांग आरक्षित वर्ग के जिस वर्ग में आते हों, उसी में उनकी गिनती होगी । किसी रिक्ति विशेष को भरने के लिए चयनित विकलांग अनुसूचित जाति के हैं, तो इनकी गिनती अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध की जायगी, अगर वे पिछड़े वर्ग के हैं , तो इनकी गिनती पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित पद के विरुद्ध की जायगी । इस प्रकार, अगर वे सामान्य वर्ग के हैं, तो उनकी गिनती सामान्य वर्गों के रिक्त पदों के विरुद्ध की जायगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-जे० आर० के० राव
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-11 / आ० 4- आ० नि०-03/2000 का० 251 पटना-15 दिनांक 18 अक्टूबर, 2000

प्रतिलिपि, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रषित । अनुरोध है कि इस संकल्प की 500 प्रतियाँ इस विभाग को भेजने की कृपा करें ।

ह०/-जे० आर० के० राव
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-11 / आ० 4-आ० नि०-03/2000 का० 251 पटना-15, दिनांक 18 अक्टूबर, 2000

प्रतिलिपि, महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची / अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी / मुख्य मंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद / सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/-जे० आर० के० राव
सरकार के विशेष सचिव ।

पत्र संख्या - 11/वि 5-न्याय-03/95 का० 102

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राजीव लोचन, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना ।

पटना-15, दिनांक 17 सितम्बर, 1999

विषय :- सी० डब्लू० जे० सी० संख्या 4114/94-श्रीमती शर्मिला कुमारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.9.98 को पारित आदेश ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त वाद के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार के द्वारा सी० डब्लू० जे० सी० संख्या-4114/94-श्रीमती शर्मिला कुमारी बनाम राज्य सरकार में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16-1-95 को पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० संख्या-10143/95 दायर किया गया था ।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन नहीं होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना दायर किया गया । उक्त अवमानना वाद से बचने के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पत्र संख्या-132, दिनांक 10.11.95 द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत किया गया कि 38वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पुराने रोस्टर का अनुपालन किया जाय तथा पुराने रोस्टर के अनुसार ही चयनित अनुशंसित उम्मीदवारों की नियुक्तियाँ इस शर्त के साथ की जाय कि राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले आदेश से की गयी नियुक्तियाँ प्रभावित होंगी ।

3. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस०एल०पी० संख्या-10143/95 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.1.95 को पारित आदेश को स्थगित करते हुए पत्र संख्या-21, दिनांक 17.2.97 के द्वारा इस आशय का आदेश निर्गत

किया गया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या-132, दिनांक-10-11-95 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30-7-96 को पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित मानी जायेगी ।

4. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.9.98 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 16.1.95 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए आरक्षण अधिनियम-11, 1993 की संशोधित धारा 4(6) (च) के अनुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है ।

कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

विश्वासभाजन,

ह०/- राजीव लोचन

सरकार के उप सचिव ।

पत्रांक-15/आ०आ०को०-1033/99 का० 65

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

डा० राम नयन, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला दंडाधिकारी/उपायुक्त/सभी अनुमंडलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 05 अगस्त, 1999

विषय :- अनुसूचित जाति/जनजातियों के जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित कर निर्गत किये जाने में वर्तमान व्यवस्था के अनुसार काफी समय लग जाता है जिसके कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

2. भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अ०स० पत्रांक 36019/1/97-इस्ट (रेस०) दिनांक 14.6.99 द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग ने यह अनुशंसा की है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित कर निर्गत किये जाने में अधिकतम 03 (तीन) माह का ही समयावधि लगे ताकि उन उम्मीदवारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़े ।

अतः अनुरोध है कि सभी सक्षम पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के लिये आवेदन किये जाने के उपरान्त जाति प्रमाण-पत्र सत्यापित कर निर्गत किये जाने में 03 (तीन) माह से अधिक का समयावधि नहीं लगने की पाबन्दी सुनिश्चित की जाय । कृपया इस आदेश से अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें ।

विश्वासभाजन

ह०/- राम नयन

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 65. पटना-15, दिनांक 05 अगस्त, 1999

प्रतिलिपि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली-110001 को उनके अ० स० पत्रांक 36019/1/97 इस्ट (रेस०) दिनांक 14.06.99 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- राम नयन

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक 65 पटना-15, दिनांक 05 अगस्त, 1999

प्रतिलिपि कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 158/सचिव दिनांक 2.7.99 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- राम नयन

सरकार के उप सचिव ।

पत्रांक-15/आ०आ०को०-1015/99 का० 63

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

डा० राम नयन, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला दंडाधिकारी/उपायुक्त।

पटना-15, दिनांक 02 अगस्त, 1999

विषय :- **जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पानेवालों, शिक्षण संस्थान में नामांकन करानेवालों एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करनेवालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें लाभ से वंचित करना एवं उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करने तथा प्रमाण पत्र निर्गत करनेवाले पदाधिकारी के विरुद्ध भी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई कर प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि जाली जाति प्रमाणपत्र के आधार पर अवैधानिक लाभ उठाकर सरकारी नौकरी पानेवालों, शिक्षण संस्थान में नामांकन करानेवालों एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करनेवालों के कई मामले सरकार के सामने आये हैं जिसके कारण अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति/ जनजाति संवैधानिक आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है । इस प्रकार के मामलों से सरकार के आरक्षण नियम की भी अवहेलना हो रही है ।

2. जाली जाति प्रमाणपत्र के संबंध में भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-12025/1/82-एस०सी०एण्ड बी०सी०डी०-IV दिनांक 29.6.88 की कंडिका-4 में निम्नांकित निदेश दिये गये हैं :-

"गैर अनुसूचित जाति तथा गैर अनुसूचित जनजाति के लोग जिन्होंने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र प्राप्त किये हैं उनका पता लगाने के लिए कठोर कार्रवाई करें, और उन्हें उन लाभों को प्राप्त करने से वंचित करें जिनके लिए वे पात्र नहीं हैं तथा यथोचित सजा दें और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें साथ ही उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करें जो ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं।"

3. अतः अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग के अंतर्गत जाली जाति प्रमाणपत्र से संबंधित मामले का पता लगावें एवं भारत सरकार गृह मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करें एवं उन मामलों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग, प्रशाखा-15 (आरक्षण आयुक्त कोषांग) को उपलब्ध करावें।

4. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/- राम नयन

सरकार के उप सचिव।

पत्र सं०-11/वि० 1-33/95 का० 5

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राजीव लोचन, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त/ सभी अनुमण्डल पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 18 फरवरी, 1999 ।

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) की अद्यतन सूची ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-185, दिनांक 29-12-95 द्वारा बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) में अंकित जातियों की सूची भेजी गयी थी ।

बिहार अधिनियम-12, 1993 की कंडिका-9 के अन्तर्गत पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विभिन्न जातियों को अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) में सम्मिलित किया गया है ।

अतः बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) एवं अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) की अद्यतन सूची आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- राजीव लोचन

सरकार के उप सचिव ।

अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची)

1.	कपरिया	1.	Kapadia
2.	कानू	2.	Kanu
3.	कवार	3.	Kawar
4.	कलन्दर	4.	Kalandar
5.	कोछ	5.	Kochh
6.	कुर्मी (महतो) (झारखंड स्वशासी क्षेत्र)	6.	Kurmi (Mahto) (Jharkhand Autonomous Council)
7.	केवट (कउट)	7.	Kewat (Kaut)
8.	कादर	8.	Kadar
9.	कोरा	9.	Kaura
10.	कोरक	10.	Korku
11.	केवर्त	11.	Kaibart
12.	कुमारभाग पहाड़िया	12.	Kumar Bhag Paharia
13.	खटवा	13.	Khatwa
14.	(विलोपित)	14.	(Deleted)
15.	खतौरी	15.	Khatouri
16.	खंगर	16.	Khangar
17.	खटिक	17.	Khatik
18.	खेलटा	18.	Khelta
19.	खतवे	19.	Khatwe
20.	(विलोपित)	20.	(Deleted)
21.	गोड़ी (छावी)	21.	Gorhi (Chhabi)
22.	गंगाई (नगेश)	22.	Gangai (Nagesh)
23.	गंगोता	23.	Gangota
24.	गोड़ या गोंड़ (सारण तथा रोहतास जिले में)	24.	Gour or Gonr
25.	गंधर्व	25.	Gandharb
26.	गुलगुलिया	26.	Gulgalia
27.	गौड़	27.	Gour

28. चांय
29. चपौता
30. चन्द्रवंशी (कहार)
31. टिकुलहार
32. ढेकारू
33. तांती (ततवा)
34. तमरिया
35. तुरहा
36. तियर
37. थारू
38. धानुक
39. धामिन
40. धीमर
41. धनवार
42. नोनिया
43. नइया
44. नाई
45. नामशुद्र
46. पाण्डी
47. पाल (भेड़िहार गड़ेरी)
48. प्रधान
49. पिनगनिया
50. पहिरा
51. वारी
52. बेलदार
53. बिन्द
54. (विलोपित)
55. सेखड़ा
56. बागदी
57. भुईयार

28. Chain
29. Chapota
30. Chandrabansi (Kahar)
31. Tikulhar
32. Dhekaru
33. Tanti (Tatwa)
34. Tamaria
35. Turha
36. Tiar
37. Tharu
38. Dhanuk
39. Dhamin
40 Dhimar
41. Dhanwar
42. Nonia
43. Naiya
44. Nai
45. Namsudar
46. Pandu
47. Pal (Bherihar Gareri)
48. Pradhan
49. Pingania
50. Pahira
51. Bari
52. Beldar
53. Bind
55. (Deleted)
55. Shekhra
56. Bagdi
57. Bhuiyar

58. भार	58. Bhar
59. (विलोपित)	59. (Deleted)
60. भास्कर	60. Bhaskar
61. माली (मालाकार)	61. Mali (Malakar)
62. मांगर	62. Mangar
63. मदार	63. Madar
64. मल्लाह (सुरहिया)	64. Mallah (Surhia)
65. मझवार	65. Majhwar
66. मारकन्डे	66. Markandey
67. मोरियारी	67. Moriyari
68. मलार (मालहोर)	68. Malar (Malhor)
69. मौलिक	69. Molik
70. राजधोबी	70. Rajdhobi
71. राजभर	71. Rajbhar
72. रंगवा	72. Rangwa
73. बनपर	73. Banpar
74. (विलोपित)	74. (Deleted)
75. सौटा (सोता)	75. Shota (Shota)
76. संतराश (केवल नवादा जिले के लिए)	76. SangTrash (For Nawada District)
77. अगरिया	77. Agaria
78. अघौरी	78. Aghouri
79. अबदल	79. Abdal
80. कसाब (कसाई, मुस्लिम)	80. Kasab (Kasai) (Muslim)
81. चीक (मुस्लिम)	81. Chik (Muslim)
82. डफाली (मुस्लिम)	82. Dafali (Muslim)
83. धुनिया (मुस्लिम)	83. Dhunia (Muslim)
84. धोबी (मुस्लिम)	84. Dhobi (Muslim)
85. नट (मुस्लिम)	85. Nut (Muslim)
86. पमरिया (मुस्लिम)	86. Pamaria (Muslim)
87. भटियारा (मुस्लिम)	87. Bhathiara (Muslim)

८८. भाट (मुस्लिम)	88. Bhat (Muslim)
८९. मेहतर, लालबेगिया, हलालखोर, भंगी (मुस्लिम)	89. Mehtar, Lalbegia, Halalkhor, Bhangi (Muslim)
९०. मिरियासीन (मुस्लिम)	90. Miriasin (Muslim)
९१. मदारी (मुस्लिम)	91. Madari (Muslim)
९२. मीरशिकार (मुस्लिम)	92. Meershikar (Muslim)
९३. साईं (मुस्लिम)	93. Saeen (Muslim)
९४. मोमिन (मुस्लिम)	94. Momin (Muslim)
९५. अमात	95. Amat
९६. चुड़ीहार (मुस्लिम)	96. Churihar (Muslim)
९७. प्रजापति (कुम्हार)	97. Parjapati (Kumhar)
९८. राईन या कुंजरा (मुस्लिम)	98. Raeen or Kunjara (Muslim)
९९. सोयर	99. Soyar
१००. ठकुराई (मुस्लिम)	100. Thakurai (Muslim)
१०१. नागर	101. Nagar
१०२. शेरशाहबादी	102. Shershahbadi
१०३. बक्खो (मुस्लिम)	103. Bakkho (Muslim)
१०४. अदरखी	104. Adarakhi
१०५. छीपी	105. Chhipy
१०६. तिली	106. Tili
१०७. इदिरीस/दर्जी (मुस्लिम)	107. Idiris or Darzi (Muslim)
१०८. सेकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम)	108. Saikalgar (Sikalgar) (Muslim)

[**नोट** :- उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए। जैसे तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान तेली ।]

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-3, 1992 के अनुसूची-1 में क्रमांक-94 के बाद जिन जातियों/वर्गों को समाविष्ट किया गया है उनका विवरण निम्न है :-

1. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-110, दिनांक 24-7-97 द्वारा अनुसूची-I (अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची) के क्रमांक-6 पर अंकित कुर्मी (महतो) केवल छोटानागपुर डिवीजन के लिए को विलोपित कर कुर्मी (महतो) झारखंड स्वशासी क्षेत्र अंकित किया गया है ।

2. बिहार अधिनियम-6, 1996, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा क्रमांक 95 से 99 तक अंकित जातियों को समाविष्ट किया गया है ।

3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-178, दिनांक 18.12.95 द्वारा क्रमांक 100 पर ठकुराई (मुस्लिम) जाति को समाविष्ट किया गया है ।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-135, दिनांक 4-9-96 द्वारा क्रमांक 101 एवं 102 पर क्रमशः नागर एवं शेरशाहबादी जाति को अंकित किया गया है ।

5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-183, दिनांक 27.11.96 द्वारा क्रमांक 103, 104 एवं 105 पर क्रमशः बक्खो (मुस्लिम), अदरखी एवं छीपी जाति को अंकित किया गया है ।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-109, दिनांक 24.7.97 द्वारा क्रमांक 106 पर तिली जाति को अंकित किया गया है ।

7. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-34, दिनांक 17.3.98 द्वारा क्रमांक 107 पर इदिरीस/दर्जी (मुस्लिम) जाति अंकित किया गया है ।

8. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-165, दिनांक 20.12.97 द्वारा क्रमांक 108 पर सेकलगर (सिकलगर) (मुस्लिम) जाति अंकित किया गया है ।

[**नोट** :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम-3, 1992 के अनुसूची-1 (अत्यन्त पिछड़े वर्गों) के क्रमांक 14, 20, 54, 59 एवं 74 पर अंकित जातियों को केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किये जाने के फलस्वरूप विलोपित कर दिया गया है ।]

अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची)

1.	(विलोपित)	1.	(Deleted)
2.	कागजी	2.	Kagji
3.	कमार (लोहार और कर्मकार)	3.	Kamar (Lohar & Karmkar)
4.	कुशवाहा (कोईरी)	4.	Kuswaha (Koiri)
5.	कोस्ता	5.	Kosta
6.	गद्दी	6.	Gaddi
7.	घटवार	7.	Ghatwar
8.	(विलोपित)	8.	(Deleted)
9.	चनउ	9.	Chanau

10.	जदुपतिया	10.	Jadupatia
11.	जोगी (जुगी)	11.	Jogi (Jugi)
12.	तमोली	12.	Tamoli
13.	तेली	13.	Teli
14.	देवहार	14.	Dewhar
15.	नालबंद (मुस्लिम)	15.	Nalband (Muslim)
16.	(विलोपित)	16.	(Deleted)
17.	परथा	17.	Partha
18.	बढ़ई	18.	Barhi
19.	बड़ई	19.	Barai
20.	बनिया (सुढ़ी, हलवाई, रोनियार, पंसारी, मोदी, कसेरा, केशरवानी, ठठेरा, कलवार, कलाल/एराकी, (विहायुत कलवार), पटवा, कमलापुरी वैश्य, सिन्दुरिया बनिया, माहुरी वैश्य, अवध बनिया, बंगी वैश्य, (बंगाली बनिया), बर्नवाल, अग्रहरी वैश्य, पोद्दार, कसौधन, गंधबनिक)	20.	Bania (Sundi, Halwai, Roniar, Pansari, Modi, Kasera, Kesarwani, Thathera, Kalwar, (Kalal/Araqi) (Bihayut Kalwar), Patwa, Kamlapuri Vaishya, Sinduria Bania, Mahuri Vaishya, Awadh Bania, Bangia Vaishya (Bangali Bania), Barnwal, Agrahari Vaishya, Poddar, Kasaodhan, Gandhbanik)
21.	मुकरी (मुकेरी) (मुस्लिम)	21.	Mukri, (Mukeri) (Muslim)
22.	यादव (ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर)	22.	Yadav (Gwala, Ahir, Gora, Ghasi, Mehar)
23.	राजवंशी (रिसिया या पोलिया)	23.	Rajbansi (Rasia or Polia)
24.	रंगरेज (मुस्लिम)	24.	Rangrej (Muslim)
25.	रौतिया	25.	Rautia
26.	(विलोपित)	26.	(Deleted)
27.	लहेड़ी	27.	Laheri
28.	शिवहरी	28.	Shivhari
29.	सोनार	29.	Sonar
30.	सूत्रधार	30.	Sutardhar
31.	सुकियार	31.	Sukiar
32.	(विलोपित)	32.	(Deleted)

33.	ईसाई धर्मावलम्बी (हरिजन)	33.	Ishai Dharmawalambi (Harijan)
34.	ईसाई धर्मावलम्बी (अन्य पिछड़ी जाति)	34.	Ishai Dharmawalambi (Pichari Jati)
35.	कुर्मी (महतो)	35.	Kurmi (Mahto)
36.	भाट (हिन्दू)	36.	Bhat (Hindu)
37.	दांगी	37.	Dangi
38.	कुल्हैया	38.	Kulhaiya

[**नोट** :- उन जाति तथा वर्गों को जिन्हें मुस्लिम नहीं लिखा गया है, हिन्दू तथा मुसलमान दोनों जाति का समझना चाहिए। जैसे तेली में दोनों हिन्दू तथा मुसलमान तेली ।]

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-3, 1992 के अनुसूची-2 में जिन जातियों को समाविष्ट किया गया है उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. बिहार अधिनियम-7, 1994, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) के क्रमांक-36 पर भाट (हिन्दू) समाविष्ट किया गया है ।
2. बिहार अधिनियम-6, 1996-बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) के क्रमांक-20 में पोद्दार के बाद कसौधन एवं क्रमांक 37 पर दांगी जाति को समाविष्ट किया गया है ।
3. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-135, दिनांक 4-9-96 द्वारा अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) के क्रमांक-38 पर कुल्हैया समाविष्ट किया गया है ।
4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-164, दिनांक 17-12-96 द्वारा अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) के क्रमांक-20 पर अंकित बनिया वर्ग के अन्तर्गत कलवार के बाद (कलाल/एराकी) समाविष्ट किया गया है।
5. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-110, दिनांक 24-7-97 द्वारा अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) के क्रमांक 20 पर अंकित बनिया के अन्तर्गत कसौधन के बाद गंधबनिक को समाविष्ट किया गया है ।
6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-79, दिनांक 22-5-98 द्वारा अनुसूची-2 (पिछड़े वर्गों की सूची) के क्रमांक-20 पर अंकित बनिया वर्ग के अन्तर्गत कलवार के बाद विहायुत कलवार समाविष्ट किया गया है।

[**नोट** :- पिछड़े वर्गों की अनुसूची-2 के क्रमांक 1, 8, 16 एवं 26 पर अंकित जातियों को विलोपित कर राज्य सरकार द्वारा अनूसूची-1 के क्रमांक-95 से 98 पर समाविष्ट किया गया है ।]

पत्र सं०-11/आ०-4 आ० नि०-04/97 का० 159

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राजीव लोचन,

सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 23 नवम्बर, 1998.

विभाग : **विभागीय स्तर पर गठित स्थापना समिति/प्रोन्नति समिति की बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन।**

महोदय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विभागीय सचिवों की अध्यक्षता में होनेवाली स्थापना/प्रोन्नति समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-11/ आ०-4-आ० नि०-04 का० दिनांक 6.1.98 को संशोधित करते हुए निम्नांकित अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाता है ।

1. श्री सोहन राम संयुक्त सचिव, योजना विभाग ।	1. उद्योग विभाग 2. उत्पाद विभाग 3. मानव संसाधन विकास विभाग 4. जल संसाधन विभाग 5. ऊर्जा विभाग ।
2. उमाशंकर प्रसाद, उप सचिव मानव संसाधन विकास विभाग	1. पथ निर्माण विभाग 2. स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

	3. निबंधन विभाग 4. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 5. पर्यटन विभाग
3. श्री मनोहर लाल उप सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1. कल्याण विभाग 2. साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग 3. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग 4. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग 5. आवास विभाग 6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।
4. श्री जुलियस कच्छप उप सचिव, साहाय्य एवं पुनर्वास विभाग	1. ईख विभाग 2. राजस्त्र एवं भूमि सुधार विभाग 3. नगर विकास विभाग 4. परिवहन विभाग 5. गृह (कारा) विभाग
5. श्री डोमन महतो तरुण उप निदेशक, पंचायती राज	1. लघु सिंचाई विभाग 2. 20–सूत्री कार्यक्रम 3. कृषि विभाग 4. ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज निदेशालय सहित) 5. खान एवं भूतत्व विभाग
6. श्री गंगा दयाल दास उप सचिव, गृह (विशेष) विभाग	1. श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग 2. सिविल विमानन विभाग 3. विधि विभाग 4. योजना एवं विकास विभाग 5. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (संसदीय कार्य/मुख्य मंत्री सचिवालय निर्वाचन सहित)
7. श्री महेश्वर प्रसाद दास निदेशक, प्रशासक–सह–उप सचिव प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग	1. खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग 2. वन एवं पर्यावरण विभाग 3. गृह (आरक्षी) विभाग 4. सहकारिता विभाग

5. गृह (विशेष) विभाग

8. श्री इन्द्रदेव प्रसाद
संयुक्त सचिव,
सहकारिता विभाग ।

1. राजभाषा विभाग
2. मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग
3. वित्त (राष्ट्रीय बचत सहित) विभाग
4. वित्त (वाणिज्यकर) विभाग
5. भवन निर्माण विभाग
6. पशुपालन एवं मत्स्य विभाग ।

विश्वासभाजन,

ह०/-राजीव लोचन

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-11 / आ० 4-आ० नि०-04/97 का० 159 पटना-15, दिनांक 23 नवम्बर 1998

प्रतिलिपि संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-राजीव लोचन

सरकार के उप सचिव ।

पत्र संख्या-11/वि० 1-05/97 का० 149

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राजीव लोचन, सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष ।

पटना 15, दिनांक 23 अक्टूबर, 1998

विषय :-सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले दिनचर्या लिपिक संवर्ग में कनीय प्रवर कोटि/वरीय प्रवर कोटि एवं सुपर टाईम वाले पदों के लिए कालावधि का निर्धारण ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के संकल्प संख्या-9277 दिनांक 29.5.91 की कंडिका-4 के अनुपालन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे कहना है कि दिनचर्या लिपिक पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व निर्गत पत्र संख्या-11/वि०1-1036/91 का०-33, दिनांक 25-12-91 को संशोधन करते हुए निम्नलिखित कालावधि निर्धारित की जाती है ।

पद का नाम	उच्चतर पद	प्रोन्नति हेतु कालावधि
1. दिनचर्या लिपिक	कनीय प्रवर कोटि दिनचर्चा लिपिक	5 वर्ष (पाँच वर्ष)
2. कनीय प्रवर कोटि दिनचर्या लिपिक	वरीय प्रवर कोटि दिनचर्या लिपिक	3 वर्ष (तीन वर्ष)
3. वरीय प्रवर कोटि दिनचर्या लिपिक	सुपर टाईम स्केल दिनचर्या लिपिक	2 वर्ष (दो वर्ष)

विश्वासभाजन,

ह०/- राजीव लोचन

सरकार के उप सचिव

पत्र संख्या-11/वि०6-आ०स०-01/94 का० 124

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री चंचल कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमण्डलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 26 अगस्त, 1998

विषय :- केन्द्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधा हेतु पिछड़े वर्ग/ अत्यन्त पिछड़े वर्गों के सदस्यों को जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्र संख्या-11/वि०6-आ.स.-01/94 का०-94, दिनांक 11.7.96 के क्रम में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये जाति प्रमाणपत्र (संशोधित प्रमाणपत्र) का प्रपत्र भारत सरकार, मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र संख्या-36033/28/94 ई०एस०टी० (रिजर्व) दिनांक 2.7.97 के प्रचारित प्रपत्र तथा उल्लेखित गजटों/संकल्पों की प्रति सुलभ निदेश हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है ।

अनुरोध है कि इस प्रसंग की सूचना अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को भी देने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/- चंचल कुमार

सरकार के संयुक्त सचिव ।

रजिष्ट्री संख्या-डी०एल०-33004/96 Regd. No. DL-33004/96

भारत का राजपत्र THE GAZETTE OF INDIA

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग-1—खण्ड-1 PART 1 — SECTION 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 210 नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 1996/अग्रहायण 20, 1918

New Delhi, Wednesday, December 11, 1996/Agrahayana 20,1918

कल्याण मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1996

सं. 12011/44/96-बी.सी.सी.-भारत सरकार ने, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 2 सितम्बर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्थापना (एस. सी. टी.) द्वारा सिविल पदों और केन्द्र सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में रिक्तियों का 27% आरक्षित किया गया है जो अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे । इस संबंध में 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सामान्य सूची कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 सितम्बर, 1993 के संकल्प संख्या 12011/68/93-बी.सी.सी (सी.), 19 अक्तूबर, 1994 के संकल्प संख्या 12011/9/94-बी. सी. सी., 24 मई, 1995 के संकल्प संख्या 12011/7/95-बी. सी. सी. तथा 9 मार्च, 1996 के संकल्प संख्या 12011/96/94 - बी. सी. सी. द्वारा अधिसूचित की गई है ।

2. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अधीन अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में अधिक शामिल किए जाने तथा कम शामिल किए जाने की शिकायतों तथा शामिल करने के अनुरोधों को स्वीकार करने/जांच करने तथा सिफारिश करने के लिए की गई ।

3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अब निम्नलिखित राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल/संशोधित किए जाने के लिए जातियों/समुदायों (उप जातियों/समानार्थी) नामों की सिफारिश की है :-

1. बिहार 2. गोवा 3. गुजरात 4. हरियाणा 5. उड़ीसा 6. उत्तर प्रदेश 7. पश्चिम बंगाल

सरकार ने आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली है तथा यह निर्धारित किया है कि उपरोक्त राज्यों के संबंध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संलग्न शामिल/संशोधित वर्गों को अधिसूचित किया जाए ।

शामिल किए गए/संशोधित वर्गों को इस संकल्प के जारी होने की तिथि से लागू माना जाएगा ।

एम. एस. अहमद, संयुक्त सचिव

अनुबंध

निम्नलिखित राज्यों के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल करना/संशोधन कराना

1. बिहार 2. गोवा 3. गुजरात 4. हरियाणा 5. उड़ीसा 6. उत्तर प्रदेश 7. पश्चिम बंगाल

राज्य : हरियाणा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उपजातियों/पर्यायों सहित) के नाम ।

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	61. नट (उन्हें छोड़कर जो हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में पहले से शामिल हैं)
2.	शून्य	62. रायगर (उन्हें छोड़कर जो हरियाणा की अनुसूचित जातियों की सूची में पहले से शामिल हैं)
3.	शून्य	63. भाट्टु/चाट्टु
4.	शून्य	64. बाडी/वाडडुन
5.	शून्य	65. राहबारी
6.	26. गवाला, गोवाला	26. ग्वाला, गोवाला, अहीर/यादव
7.	शून्य	66. लोध/लोधा
8.	शून्य	67. मेओ
9.	शून्य	68. गुजर
10.	30. झांगरा, ब्राह्मण, जोगरा ब्राह्मण अथवा जांगिद ब्राह्मण खाती	30. झांगरा, ब्राह्मण, जोगरा ब्राह्मण, अथवा जांगिद ब्राह्मण खाती, रामगढ़िया
11.	शून्य	69. सैनी

राज्य : बिहार : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नाम ।

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	124. डांगी

राज्य : गोवा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नाम ।

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	4. धोबी, रजक, मडवल (ईसाई धोबियों सहित)
2.	शून्य	5. नाहवी, नाई, नाभिक, नापित, महाली
3.	शून्य	6. कोली/खारवी (ईसाई खारवी सहित)
4.	शून्य	7. नाथजोगी
5.	शून्य	8. गोसावी

राज्य : गुजरात : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नाम ।

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	वालंद नायी (हिन्दू) हजाम (मुस्लिम)	73. वालंद नायी (हिन्दू), हजाम (मुस्लिम), खलीफा (मुस्लिम), गामर (हिन्दू)
2.	शून्य	80. पखाली

राज्य : उत्तर प्रदेश : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नाम ।

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	17. चिकवा (कासाब)	17. चिकवा, क्युसाब, चाक
2.	37. भूरजी अथवा भड़भूजा, भड़भून्जा	37. भूरजी, भड़भूजा, भड़भून्जा, भूज, कान्दु
	47. रंग्रेज	47. रंग्रेज, रंगवा
	53. हज्जाम (नाई)	53. हज्जाम (नाई), सलमान नाई

राज्य : पश्चिम बंगाल : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नाम ।

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	15. नागर (इसमें आप्रवासी मैथिली ब्राह्मण तथा अन्य राज्यों से आप्रवासी नागर शामिल नहीं हैं जो ब्राह्मण तथा बनिया हैं)
	शून्य	16. कासनी
	शून्य	17. राजू
	शून्य	18. केओरी/कोइरी
	शून्य	19. साराक
	शून्य	20. कोस्ता/कोस्था

राज्य : उड़ीसा : अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों (उप जातियों/पर्यायों सहित) के नाम ।

क्रम सं.	पुरानी प्रविष्टि	नई प्रविष्टि
1.	शून्य	176. सरका/सरका तांती
2.	शून्य	177. चासा (चासा नामक यह प्रविष्टि उड़ीसा राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में प्रविष्टि संख्या 27 पर "चासा" के अनुरूप है)
3.	शून्य	178. पतारा/पत्रा
4.	43. गोला, गोल्ला, गोप, सदगोप, अहीर, गौर, गोंडा, गौडो, मेकाला, गौला, पुन्नु गौला, यादव ।	43. गोला, गोल्ला, गोप, सदगोप, अहीर, गौर, गौडा, गौडो, मेकाला गोला, पुन्नु गौला, यादव, लक्ष्मीनारायण गोला और गोंड़िया गोला ।
5.	शून्य	179. कुरमी, कुरमा चासा, कुडमी, कुडमा, कुरमा, कुरमी महतो, कुरमी क्षत्रिय, कुरमी, कुडुमी क्षत्रिय ।

MINISTRY OF WELFARE

RESOLUTION

New Delhi, The 6th December, 1996

No. 12011/44/96-BCC— The Government of India, vide the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel and Training) O.M. No. 36012/22/93-Estt. (SCT), dated the 8th September, 1993, have reserved 27% of vacancies in civil posts and services under the Central Government, to be filled through direct recruitment, in favour of the Other Backward Classes (OBCs). In this regard the common list in respect of 25 States/UTs have been notified vide Ministry of Welfare Resolutions No 12011/68/93-BCC (C) dated the 10th September, 1993, No. 12011/9/94-BCC dated the 19th October, 1994 and No. 12011/7/95-BCC dated the 24th May, 1995 and No. 12011/96/94-BCC dated the 9th March, 1996.

2. The National Commission for Backward Classes was set up under the provision of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 to entertain, examine and recommend upon the requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the Central list of Other Backward Classes.

3. The National Commission for Backward Classes have now recommended names of castes/communities (including sub-castes/synonyms) for inclusion/amendment in the Central Lists of OBCs in respect of the following States :—

1. Bihar 2. Goa 3. Gujarat 4. Haryana 5. Orissa 6. Uttar Pradesh 7. West Bengal

The Government have accepted the recommendations of the Commission and have decided to notify annexed inclusions/amendments in the Central Lists of OBCs in respect of aforesaid States. These inclusions/ amendments shall take effect from the date of issue of this Resolution.

M. S. AHMAD, Jt. Secy.

No. 36033/28/94-Estt. (Res)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

North Block, New Delhi

Dated The 2nd July, 1997

To

The Chief Secretaries,

All State Governments/Union Territories

Subject :- Reservation for Other Backward Classes—Revised proforma certificate.

Sir,

I am directed to enclose revised proforma certificate to be produced by the candidates belonging to the OBCs. The revised proforma has been necessitated by certain notifications/amendments in the central list of OBCs in respect of the following States contained in the Ministry of Welfare's Resolution No. 12011/44/96-BCC dated the 6th December, 1996 published in the Gazette of India, Extraordinary Part-I Section-1 No. 210 dated 11th December, 1996 :—

(i) Bihar, (ii) Goa, (iii) Gujarat, (iv) Haryana, (v) Orissa, (vi) Uttar Pradesh, (vii) West Bengal

2. It is requested that the concerned authorities competent to issue the certificate for the OBCs may be apprised of the revised proforma so that the candidates belonging to the OBCs now included in the resolution dated the 6th December, 1996 do not face any problem.

(Hindi version will follow).

Yours faithfully,

Sd/- J. KUMAR

Under Secretary to the Govt. of India.

To

1. All Ministries/Departments.

2. Department of Economic Affairs (Banking Division)

3. Department of Economic Affairs (Insurance Division)

4. Department of Public Enterprises.

5. Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi.

6. Staff Selection Commission, C.G.O. Complex, Lodhi Road, New Delhi.

7. Ministry of Welfare (Smt. Manjula Krishnan, Director)

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA.

This is to certify that .... son/daughter of .... of viliag .... District/Division .... in the .... State .... belongs to the .... community which is recognised as a backward class under

(i) Resolution No. 12011/68/93-BCC (C) dated the 10th December, 1993, published in the Gazette of India Extraordinary Part 1, Section 1, No. 186 dated 13th September, 1993.

(ii) Resolution No. 12011/9/94-BCC dated 19th October, 1994, published in the Gazette of India Extraordinary Part I, Section 1, No. 163, dated 20th October, 1994.

(iii) Resolution No. 12011/7/95-BCC. dated the 24th May, 1995, published in the Gazette of India Extraordinary-Part I, Section 1, No 88, dated 25th may, 1995.

(iv) Resolution No. 12011/44/96-BCC, dated the 6th December, 1996, published in the Gazette of India Extraordinary- Part 1, Section I, No. 210, dated the 11th December, 1996.

Shri .... and/or his family ordinarily reside (s) in the .... District/Division of the .... State. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule in the Government of India, Department of Personnel & Training O. M. No. 36012/22/93-Esstt.(SCT) dated 8.9.1993.

District Magistrate

Deputy Commissioner etc.

Dated :

Seal

NB. : (a) The term 'ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Represention of the People Act, 1950.

(b) The authorities competent to issue caste certificates are indicated below :-

(i) District Magistrate/Additional Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/ Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendary Magistrate);

(ii) Chief Presidency Magistrarte/Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate;

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar; and

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family resides.

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- **बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-2 के क्रमांक-20 पर अंकित बनिया वर्ग के अन्तर्गत कलवार के बाद कोष्ठ में विहायुत कलवार जोड़ने के संबंध में ।**

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है । आयोग को बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करना है और ऐसी सूचियों में किसी वर्ग के अतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करनी है । इसके उपरान्त आयोग राज्य सरकार को ऐसी सलाह देती है जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम-12, 1993 "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की धारा 9 (2) के अनुसार आयोग की एतद्संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य है ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांच के उपरान्त अनुशंसा की गयी है कि पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर अंकित बनिया की अन्य उपजाति कलवार के बाद कोष्ट में "विहायुत कलवार" जोड़ा जाय ।

अतः राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-20 पर अंकित बनिया की अन्य उपजाति कलवार के बाद कोष्ठ में 'विहायुत कलवार' अंकित किया जाय ।

अतः समावेशन के फलस्वरूप विहायुत कलवार को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्ग को मिलनेवाली आरक्षण का लाभ

मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएं अनुमान्य होंगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेश:- अत: यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची, बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/मुख्य मंत्री सचिवालय/ बिहार विधानसभा / बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/- देवाशीष गुप्ता
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 11/वि. 2-पि. व. आ. 02/97 का० 79 पटना-15, दिनांक 22 मई, 1998

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना । अनुरोध है कि इसकी 500 प्रति मुद्रित कर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय । महालेखाकार, बिहार पटना/ रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय/अध्यक्ष, बिहार विधानसभा/अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद/कुलपति, सभी विश्वविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षद को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/- देवाशीष गुप्ता
सरकार के सचिव

बिहार गजट-असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 चैत्र 1920 (श०)

(संख्या पटना 124) पटना, सोमवार, 13 अप्रील 1998

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

6 अप्रील, 1998

जी० एस०आर० 2, दिनांक 13 अप्रैल, 1998 – पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम 12,1993) की धारा 17 की उप–धारा (2) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।– (1) यह नियमावली पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग (अध्यक्ष और सदस्य के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली, 1996 कहलाएगी;

(2) अध्यक्ष और सदस्यों के योगदान देने की तिथि से ही पद प्रभावी माना जायेगा ।

2. परिभाषाएं ।– जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग अधिनियम, 1993 (बिहार अधिनियम, 12, 1993);

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप–धारा (2) (क) के अधीन नाम निर्दिष्ट आयोग का अध्यक्ष;

(घ) "सदस्य" से अभिप्रेत है आयोग का सदस्य और इसमें अध्यक्ष भी शामिल है;

(ङ) इसमें प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिए गए हैं ।

3. वेतन एवं भत्ते ।- (1) अध्यक्ष ऐसे वेतन एवं भत्ते का हकदार होगा जो वेतन एवं भत्ता, अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग को अनुमान्य होगा ।

(2) अध्यक्ष से भिन्न प्रत्येक सदस्य ऐसे वेतन का हकदार होगा जो बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अनुमान्य होगा ।

4. श्रेणी और प्रतिष्ठा ।- अध्यक्ष एवं सदस्यों की श्रेणी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के अनुरूप अनुमान्य होगी ।

5. सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर मूल सेवा से निवृत्ति ।- वैसे सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में थे, उन्हें आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख के प्रभाव से ऐसी सेवा से निवृत्त माना जायेगा ।

6. छुट्टी ।- अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित रूप से छुट्टी का हकदार होगा :-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित बिहार सेवा संहिता के अनुसार उपार्जित छुट्टी, अर्द्धवेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी ।

(ख) समय-समय पर यथासंशोधित बिहार सेवा संहिता के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों को यथाअनुमान्य असाधारण छुट्टी ।

7. पेंशन ।- (1) ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, अपनी नियुक्ति की तारीख से छः माह के भीतर या अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, अपने विकल्प का प्रयोग कर जिस सेवा में वह था उस सेवा पर लागू नियमों के अनुसार अपनी पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जो (यथास्थिति) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से प्रभावी होगी, परन्तु ऐसी दशा में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके वेतन में से सकल पेंशन की समतुल्य राशि को, जिसमें पेंशन का कोई भाग जो रूपांतरित हुआ हो और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं की समतुल्य पेंशन भी शामिल है, घटा दिया जायेगा तथा वह अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं पृथकतः करने का हकदार होगा ।

(2) अध्यक्ष या सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और यदि वह उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग नहीं करता हो, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा की गणना ऐसी नियुक्ति के तुरन्त पहले या जिस सेवा में रहा हो उस सेवा पर लागू नियमों के अधीन पेंशन और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिए की जायगी ।

(3) ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को कोई पेंशन देय नहीं होगी जो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदग्रहण करने के तुरंत पहले केन्द्रीय या राज्य सरकार की किसी सेवा में नहीं रहा हो ।

8. भविष्य निधि ।- (1) ऐसा अध्यक्ष या सदस्य जो आयोग में अपनी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसे सामान्य भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि की प्रसुविधाएं मिली हुई थीं, वह उस निधि में उस तारीख तक अंशदान जारी रख सकेगा जिस तारीख को वह अपनी सेवा में लागू नियमों के अनुसार सेवा-निवृत्त नहीं हो जाता । अंशदायी भविष्य निधि की दशा में, उस निधि में देय नियोजक का अंशदान आयोग में अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति की तारीख से, उन परिलब्धियों के आधार पर आयोग द्वारा देय होगा जो वह नियुक्ति के तुरंत पहले धारित पद पर प्राप्त कर सकता ।

स्पष्टीकरण – इस उप-नियम के अधीन अपने विकल्प का प्रयोग करने वाला सदस्य अपनी नियुक्ति के छः माह के भीतर राज्य सरकार को लिखित रूप में अपना विकल्प संसूचित करेगा और इस प्रकार प्रयुक्त विकल्प अंतिम होगा।

(2) ऐसा अध्यक्ष या कोई सदस्य जो अपनी ऐसी नियुक्ति के समय –

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में रहा हो, और जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व जिस सेवा में वह था, उस पर लागू नियमों के अधीन अपनी पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त करने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा –

(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले या नियंत्रित अन्य प्राधिकार की अधीनस्थ सेवा से निवृत्त हो चुका हो, अथवा-

(iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय अथवा सरकार द्वारा पूर्णतः या सारतः स्वामित्व वाले किसी अन्य प्राधिकार की सेवा में नहीं रहा हो,

वह अंशदायी भविष्य निधि योजना की प्रसुविधा में सम्मिलित किये जाने का हकदार होगा और इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर यथासंशोधित अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियमावली, 1962 द्वारा शासित होगा ।

9. अवशिष्ट उपबंध ।- (1) अध्यक्ष की जिनकी सेवा-शर्तें के लिए इस नियमावली में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है वे इस प्रकार होंगी :-

(क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में सेवा-शर्तें वही होंगी जो यथास्थिति उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश को अनुमान्य है, और

(ख) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने की दशा में सेवा-शर्तें वही होंगी जो समय-समय पर यथासंशोधित जांच आयोग/समिति में नियुक्ति होने पर सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों के वेतन निर्धारण एवं अन्य शर्तों से संबंधित सरकारी अनुदेशों के अधीन अनुमान्य है ।

(ग) सत्कार भत्ता – आसीन/सेवानिवृत्त न्यायाधीश-अध्यक्ष होने पर समय-समय पर यथापुनरीक्षित उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश की हकदारी के अनुसार सत्कार भत्ता का हकदार होगा ।

(2) इस नियमावली में सदस्यों की जिन सेवा-शर्तों के लिए स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया है वे वही होंगी जो समय-समय पर बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निमित्त लागू होंगी ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

नवीन कुमार,

सरकार के सचिव ।

6th April, 1998

No. G.S.R.-2, dated the 13th April, 1998 — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) (a) Section 17 of State Commission for Backward Classes Act, 1993 (Bihar Act, 12 of 1993) the State Government hereby make the following rules, namely :—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the State Commission for Backward Classes (Salaries and Allowances and other conditions of service of Chairman and Members) Rules, 1996.

(2) It shall come into force from the date of joining of Chairman and Members.

2. Definitions. — In these rules unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the State commision for Backward Clases Act, 1993 (Bihar Act, 12 of 1993);

(b) "Commission" means the State Commision for Backward Classes;

(c) "Chairman" means the Chairman of the Commission nominated under sub-section (2) (a) of Section-3 of the Act;

(d) "Member" means the Member of the Commission and includes the Chairman;

(e) The words and expressions used herein but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Salaries and Allowances. — (1) The Chairman shall be entitled to such pay and allowance as admissible to the Chairman of Bihar Public Service Commission.

(2) Every member other than the Chairman shall be entitled to such pay and allowance as admissible to the member of Bihar Public Service Commission.

4. Rank and Status. — The Chairman and Member shall have the same rank and status as Chairman and Member of Bihar Public Service Commission.

5. Retirement from parent service on appointment as Member. — The Members who on the date of his appointment to the Commission was in the Service of the Central or a State government shall be deemed to have retired from such service with effect from the date of his appointment as Member of the Commission.

6. Leave. — The Chairman and every Member shall be entitled to leave as follows:—

(a) Earned Leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Bihar Service Code as amended from time to time;

(b) Extraordinary leave as admissible to the temporary Government servants under the Bihar Service Code as amended from time to time.

7. Pension. — (1) The Chairman or a Member who, at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Government, shall at his option to be exercised within a period of six months from the date of his appointment or till he attains the age of superannuation whichever is earlier, be entitled to draw his pension and other retirements benefits as per the rules applicable to the service to which he belonged with-effect from the date of his appointment as Chairman or Member (as the case may be) provided that, in such an event his pay as Chairman or Member shall be reduced by an amount equivalent to the gross pension including any portion of the pension which may have been commuted and the pension equivalent of other retirement benefits and he shall be entitled to draw his pension and other retirement benefits separately.

(2) The Chairman or a Member, who at the time of his appointment as such was in the service of the Central or State Governments, if he does not exercise the option specified in subrule (1), shall count his service as Chairman or Member for pension and retirement benefits under the rules applicable to the service to which he belonged immediately before such appointment.

(3) No pension shall be payable to the Chairman or a Member who immediately before assuming office as the Chairman or a Member, was not in any service of the Central or State Government.

8. Provident Fund. — (1) The Chairman or a Member who on the date of his appointment to the Commission was in the service of the Central or State government and who had been admitted to the benefits of General Provident Fund or Contributory Provident Fund, may continue to subscribe to that fund until the date on which he retires according to rules applicable to him in his service. In the case of the Contributory Provident Fund, the employers contribution payable to that Fund shall be from the date of the Chairman or Member's appointment to the Commission be payable by the Commission on the basis of the emoluments which he would have drawn in the post he held immediately before appointment.

Explanation. — Member exercising his option under this sub-rule shall communicate his option in writing to the State Government within six months of his appointment and option so exercised shall be final.

(2) The Chairman or a Member who at the time of his appointment as such Member :—

(i) was in service of the Central or State Government and had opted to draw his pension and other retirement benefits under the rules applicable to the service to which be belonged prior to such appointment; or

(ii) had retired from service under the Central or State Government, a local body or other authority wholly or substantially owned or controlled by the government; or

(iii) was not in the service of the Central or State Government or a local body or any other authority wholly or substantially owned by the Government

shall be entitled to be admitted to the benefit of the Contributory Provident Fund Scheme and for this purpose shall be governed by the Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962 as amended from time to time.

9. Residuary Provision. — (1) The conditions of Service of the Chairman for which no express provision has been made in these rules, shall be :—

(a) In the case of sitting judge of the Supreme Court or High Court appointed as Chairman, the same as admissible to a sitting judge of the Supreme Court or a High Court, as the case may be; and

(b) In the case of retired judge of the Supreme Court or a High Court appointed as Chairman, the same as those admissible under the Government's instructions relating to fixation of pay and other terms admissible to retired judges on their appointment to Commissions/Committees of Enquiry as amended from time to time.

(c) *Sumptuary allowance* :— The Chairman, in case of sitting/retired judge, shall be entitled to a sumptuary allowance as per the entitlement of a sitting judge of a High Court.

(2) The conditions of service of the members for which no express provision has been made in these rules shall be as that applicable to member of Bihar Public Service Commission from time to time.

By order of the Governor of Bihar.

NAVIN KUMAR.

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

विषय :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की अनुसूची-1 में इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) को जोड़ने के संबंध में ।

राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम-12, 1993 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" का गठन किया है । आयोग बिहार अधिनियम-3,1992 की अनुसूची एक एवं दो में पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को सम्मिलित करने के अनुरोध की जांच करेगी और ऐसी सूचियों में किसी पिछड़े वर्ग के अंतिसमावेशन या अल्पसमावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगी । इसके उपरान्त आयोग द्वारा राज्य सरकार को ऐसी सलाह दी जायेगी जैसा वह उचित समझे । बिहार अधिनियम-12,1993 की धारा-9 (2) के अनुसार "पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग" की एतद् संबंधी राय मानने के लिए सामान्यतया राज्य सरकार बाध्य होगी ।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा विधिवत जांच के उपरान्त अनुशंसा की गयी है कि इदरीसी (दर्जी) (मुस्लिम) वर्ग को पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक 32 से विलोपित कर अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) में सम्मिलित किया जाय ।

अत: राज्य सरकार ने भली-भाँति विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया है कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार अधिनियम-3, 1992, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची -2) के क्रमांक 32 पर अंकित इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) जाति को विलोपित कर अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-107 पर अंकित किया जाय ।

अत: समावेशन के फलस्वरूप इदरीसी या दर्जी (मुस्लिम) जाति को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्ध सरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में अत्यन्त पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा । इसके अतिरिक्त संबंधित आरक्षित वर्ग को देय अन्य सुविधाएं अनुमान्य होंगी । यह लाभ अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः– अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/बिहार लोक सेवा आयोग/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग/सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/ बिहार विधान सभा / बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- नवीन कुमार

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 11/वि. 2-पि. व. आ. 01/97 का०-34 पटना-15, दिनांक 17.3.98

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना तथा रांची/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/ सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ मुख्य मंत्री सचिवालय / अध्यक्ष, बिहार विधान सभा / अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद/ सभी विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों / लोक सेवा के उपक्रमों/पर्षद को अविलम्ब सूचित करा दें ।

ह०/-नवीन कुमार

सरकार के सचिव